उर्वरकों का मूल्य

2473. **श्री हुकम देव नारायण यादव :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रासायनिक उर्वरकों का कितना उत्पादन होता है और यह कितनी मात्रा में आयात किया जाता है,

(ख) देश में उत्पादित उर्वरकों की उत्पादन लागत तथा बिक्री मूल्य क्या है,

(ग) विदेश से किस मूल्य पर आयात किया जाता है और किस मूल्य पर बेचा जाता है, और

(घ) उर्वरकों का मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया जाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) अप्रैल, 1976 से मार्च, 1977 तक की अवधि के दौरान देश में 19 लाख मीटरी टन एन० और 4.80 लाख मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ का उत्पादन हुआ है। इसी अवधि के दौरान 7.50 लाख मीटरी टन एन०, 0.23 लाख मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ और 2.78 लाख मीटरी टन के$_2$ ओ को आयात किया गया है।

(ख) उर्वरकों की उत्पादन लागत अलग अलग श्रेणियों तथा अलग अलग संयंत्रों में अलग अलग है और इन बातों पर निर्भर करती है कि कौन सा 'फीडस्टाक' इस्तेमाल हुआ है, कौन सी पद्धति अपनायी गई है, संयंत्र कितना पुराना है, किस जगह स्थिति है, उपयोगिता मूल्य आदि क्या है।

तीन प्रमुख नत्रजन युक्त उर्वरकों अर्थात् यूरिया, केल्शियम एमोनियम नाइट्रेट और एमोनियम सल्फेट के खुदरा मूल्य सांविधिक रूप से नियंत्रित हैं। इस समय उनके खुदरा मूल्य इस प्रकार हैं :—

	रु० प्रति मीटरी टन
युरिया . . .	1650
कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट	
25% एन—देशीय . .	1050
26% एन—आयातित . .	1060
एमोनियम सल्फेट	
100 किलोग्राम पैकिंग .	925
50 किलोग्राम पैकिंग .	935

फास्फेटयुक्त उर्वरकों के मूल्य सांविधिक नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं आता। तथापि, मार्च, 1976 से प्रचलित मूल्य समर्थन योजना के अनुसार मिश्रित फास्फेटयुक्त उर्वरकों का अधिकतम विक्रय मूल्य सरकार द्वारा निश्चित कर दिया गया है। कुछ प्रमुख उर्वरकों के मामले में इन मूल्यों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। भारतीय उर्वरक संघ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये हुए फार्मूले के अनुसार विभिन्न यूनिटों के लिये सिंगल सुपर-फास्फेट का मूल्य निश्चित करता है।

(ग) विभिन्न प्रकार के आयातित रासायनिक उर्वरकों का प्रति मीटरी टन मूल्य, अलग अलग संविदाओं तथा सप्लाई के अलग अलग श्रोतों के संबंध में अलग अलग होता है और सौदे के समय अंतर्राष्ट्रीय मांग और सप्लाई पर निर्भर करता है। इसे प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

जैसा कि ऊपर भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है यूरिया, कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट और एमोनियम सल्फेट के अधिकतम खुदरा मूल्य सांविधिक रूप से नियंत्रित हैं। पोटाश सारा का सारा आयात होता है और

म्यूरेट आफ पोटाश का खुदरा मूल्य 795रू० प्रति मीटरी टन (100 किलोग्राम के पैकिंग के लिये) और 805 रु० (50 किलोग्राम के पैकिंग के लिये) है। कुछ प्रमुख आयातित फास्फेटिक तथा मिश्रित उर्वरकों के खुदरा मूल्य ऊपर भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण (परिशिष्ट) में दिये गये हैं।

(घ) जिन उर्वरकों की किमत सरकार द्वारा निश्चित की जाती है उनके खुदरा मूल्यों का निर्धारण, आयातित उर्वरकों के मूल्य को न लाभ न हानि के आधार पर लेते हुए, स्थानीय उद्योग के उत्पादन मूल्य और कृषक की भुगतान करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सिंगल सुपरफास्फेट का खुदरा मूल्य सरकार द्वारा स्वीकृत फार्मूले के अनुसार भारतीय उर्वरक संघ द्वारा निश्चित किया जाता है। देश में उत्पादित फास्फेटिक उर्वरक के मामले में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय अधिकतम विक्रय मूल्य निश्चित करता है, जैसा कि ऊपर प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है। वास्तविक विक्रय मूल्य उत्पादकों द्वारा स्वयं निर्धारित किये जाते हैं।

विवरण

कुछ प्रमुख फास्फेट युक्त तथा मिश्रित उर्वरकों (आयातित तथा देशीय) के खुदरा मूल्य

रु० प्रति मीटरी टन

उर्वरक की श्रेणी	आयातित उर्वरकों के बारे में कृषि एवं सिचाई मंत्रालय द्वारा निश्चित खुदरा मूल्य	देशीय उर्वरकों के बारे में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य
1. डाय-एमोनियम फास्फेट (18-46-0)	2210	2210
2. ए० एन० पी० (20-20-0)	1590	1845 (एफ० ए० सी० टी०) 1760 (एफ० सी० आई०)
3. 24-240	2045	2080 (आई० एफ० एफ० सी० ओ०) 2045 (एम०एफ०एल०)
4. 15-15-15	1520	1520 (एफ० सी० आई०)
5. 17-17-17	1810	1810 (एम० एफ० एल०)